

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 69 / 2021

हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल बाहाम्ण निवासी ए-3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 21.09.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल बाहाम्ण निवासी ए-3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2021 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/567 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 5792 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक 5792 दिनांक 15.09.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचनाएं उनके कार्यालय से संबंधित न होने के कारण अपीलान्त का आवेदन तहसीलदार उच्चैन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्त को भी सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलान्त द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्त का आवेदन धारा


जिला कलक्टर
भरतपुर (गज०)

"2"

6(3) के तहत तहसीलदार उच्चैन को अन्तरित करते हुये पत्रांक 4975-76 दिनांक 03.08.20521 से अपीलान्त को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्त वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु तहसीलदार उच्चैन के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर